बिहार सरकार
गृह विभाग (विशेष शाखा)
<u>आदेश</u>

ज्ञापांक – जी/आपदा–06–03/2021–1008 पटना, दिनांक– 06 फरवरी, 2022

कोरोना वायरस जनित महामारी की तीसरी लहर से देश के अनेक राज्यों में कोरोना पोजिटिव मामलों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा दिनांक 06.01.2022 से 06.02.2022 तक विभागीय आदेश संख्या– 38, दिनांक– 04.01.2022 एवं पुनः विभागीय आदेश संख्या– 490, दिनांक– 20.01.2022 के माध्यम से प्रतिबन्ध लागू किए गए।

दिनांक 06.02.2022 को आपदा प्रबन्धन समूह (CMG) की बैठक में राज्य में कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि वर्तमान प्रतिबन्धों के प्रभाव से संक्रमण की दर में अपेक्षातीत सुधार आया है। ऐसी स्थिति में प्रतिबन्धों को शिथिल किए जाने की आवश्यकता है, ताकि सामान्य जनजीवन को क्रमिक रूप से बहाल किया जा सके। अतः वर्तमान स्थिति के परिप्रेक्ष्य में प्रतिबन्धों को शिथिल करते हुए दिनांक **07.02.2022** से **13.02.2022** तक निम्न प्रावधानों को गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं0–40–3/2020–DM-I(A) दिनांक– 27 दिसम्बर, 2021 में उल्लेखित कोविड अनुकूल व्यवहार सम्बन्धी National Directives For COVID 19 Management (संलग्न) के अनिवार्य अनुपालन के साथ लागू करने का निर्णय लिया गया :–

1. सभी सरकारी कार्यालय एवं गैर–सरकारी कार्यालय सामान्य रूप से खुलेंगे। सरकारी कार्यालयों में केवल कोविड टीका प्राप्त (vaccinated) आगंतुकों का प्रवेश अनुमान्य